न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 22/2021
दायर दिनांक :– 03/03/2021
निर्णय दिनांक :– 03/12/2025

उनवान

1 शिवसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी खेडली
2 फतेहसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी खेडली
3 सायरकंवर पत्नी भोपालसिंह राजपूत निवासी खेडली
4 देवीसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी खेडली
5 शैतानसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी खेडली
6 सोहनकुंवर पत्नी उदयसिंह राजपूत निवासी खेडली

वादी

बनाम

1 नारायण सिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी खेडली
2 उंकारसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी खेडली
3 मु0 फेफकुंवर पत्नी स्व0 किशोरसिंह राजपूत निवासी खेडली
4 मु0 भेरूकुंवर पुत्री किशोरिसंह राजपूत निवासी खेडली
5 मु0 नवलकुंवर पुत्री किशोरसिंह राजपूत निवासी खेडली
6 रतनसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
7 मु0 चंदाकुंवर पत्नी स्व0 अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
8 मु0 नंदाकुंवर पुत्री अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
9 मु0 धापुकुंवर पुत्री अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
10 मु0 टमाकुंवर पुत्री अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
11 मु0 नैना कुंवर पुत्री अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
12 मु0 पवनकुंवर पुत्री अभयसिंह राजपूत निवासी खेडली
13 बहादुर सिंह पिता संग्रामसिंह राजपूत निवासी खेडली
14 हरिसिंह पिता मोडसिंह राजपूत निवासी खेडली
15 सज्जनसिंह पिता मोडसिंह राजपूत निवासी खेडली
16 मु0 नवलकुंवर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी खेडली
17 मु0 केशरकुंवर पुत्री मोडसिंह राजपूत निवासी खेडली
18 रामसिहं पिता दुल्हेसिंह राजपूत निवासी खेडली
19 कालूसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी खेडली
20 इंद्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी खेडली
21 प्रहलादसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी खेडली
22 उदयसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली
23 किशनसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली
24 होकमसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली
25 गोवर्धनसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली
26 गणपतसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली
27 नारायणसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेडली
28 जीतसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी खेडली
29 तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेंद्र कोठारी, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया [illegible] के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह कि ग्राम खेडली तहसील भूपालसागर [illegible] 36 में आराजी खसरा नंबर 63 रकबा 3 बिस्वा आ0चा0 170 रकबा 5 बिस्वा आ0चा0, 171 रकबा 13 बिस्वा, [illegible] रकबा 15 बिगा 2 बिस्वा, 180 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा, 206 रकबा 8 बिस्वा आ0चा0 कुल किता 6 कुल रकबा 34 बिघा 15 बिस्वा स्थित थी जो राजस्व रेकार्ड में संग्रामसिंह मोडसिंह पिता ओनाडसिंह 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:45:28 IST
Reason: SelfAttested

दुल्हेसिंह पिता गिरवरसिंह 1/4 लालसिंह पिता केशरसिंह 1/8 जीतसिंह पिता उम्मेदसिंह 1/8 भीमसिंह पिता खुमाणसिंह 1/4 राजपूत नि0 खेडली के संयुक्त खातेदारी में अंकित थी, इसके प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 संलग्न है। उक्त खातेदारों में से संग्रामसिंह फौत हो गए, व उनके वारिस श्री किशोरसिंह अभयसिंह बहादुरसिंह तथा मोडसिह पिता ओनाडसिंह 1/4 दुल्हेसिंह के फौत हो जाने से उनके वारीश पुत्र भंवरसिंह, रामसिंह व पुत्री मु0 फेफकुंवर 1/4 हिस्सा व बकाया लालसिंह 1/8 जीतसिंह 1/8 तथा भीमसिंह की मौत हो जाने से उनका 1/4 हिससा उनके वारीश पुत्र भोपालसिंह उदयसिंह के नाम पर दर्ज हुआ इसके प्रमाण में नकल जमाबंदी 2028 से 2031 संलग्न है। इसके बाद जमाबंदी रोटेशन से संवत 2032 से 2034 बनी मगर उसमें उक्त जमीन किशोरसिंह अभयसिंह बहादुरसिंह मोडसिंह 1/4 भंवरसिंह रामसिंह मु0 फेमकुंवर 1/4 लालसिंह 1/8 के नाम पर तो पूर्ववत दर्ज रही मगर सेवन से उक्त जमीन का जीतसिंह पिता उम्मेदसिंह का 1/8 हिस्सा तथा भोपालसिंह उदयसिंह पिता भीमसिंह का 1/4 हिससा दर्ज होने से रह गया। इसके प्श्चात् नई जमाबदी संवत 2039 से 2042 बनी उसमें लालसिंह पिता केशरसिंह का 1/8 हिस्से की जगह गलती से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया व शेष इंद्राज जमाबंदी संवत 2032 से 2034 का यथावत रहा, यानि वास्तव में जो जीतसिंह पिता उम्मेदसिंह का 1/8 हिस्सा तथा भोपालसिंह उदयसिंह पिता श्री भीमसिंह का 1/4 हिस्सा जो जमाबंदी संवत 2032 से 2034 में सेवन से दर्ज होने से रह गया था वह इस जमाबंदी संवत 2039 से 2042 मे लालसिंह पिता श्री केशरसिंह जी के हिस्से में जोड दिया व उनका हिस्सा जो पूर्व में 1/8 ही था उसके स्थान पर 1/8 एवं 1/8 एवं 1/4 कुल 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है चूकि लालसिंह जी का हिस्सा 1/8 ही था। इसके बाद हाल पैमायश संवत 2050 में हुई व सेटलमेंट में उक्त आराजियात के नए नंबर बने व खाता नंबर 31 कायम होकर आराजियात नंबर 146 रकबा 0.03 है0 आ0चा0 253 रकबा 0.60 है0 256 रकबा 0.04 है आ0चा0 258 रकबा 0.05 है0 आ0चा0 259 रकबा 0.08 है0 260 रकबा 0.12 है0 265 रकबा 0.10 है0 270 रकबा 2.80 है0 271 रकबा 0.05 है0 272 रकबा 0.27 है0 273 रकबा 1.35 है0 274 रकबा 0.15 है0 278 रकबा 0.95 है0 279 रकबा 0.51 है0 311 रकबा 0.06 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 7.16 है0 बने तथा उक्त आराजियात किशोरसिंह अभयसिंह बहादुरसिह, पिता संग्रामसिंह तथा मोडसिंह के वारीसान हरिसिंह श्री सज्जनसिंह पुत्र नवलकुंवर सवनकुंवर केशरकुंवर, मनोहरकुंवर पुत्रियां रतनकुंवर पत्नी 1/4 भंवरसिंह रामसिंह फेमकुंवर पिता दुल्हेसिंह 1/4 तथा लालसिंह जी के वारीसान उदयसिंह किशनसिंह होकमसिंह गोवर्धनसिंह, गणपतसिंह नारायण सिंह पुत्र प्रेमकुंवर पुष्पाकुंवर हेमकुंवर पुत्रियां राजबाई पत्नी 1/2 हिस्से से दर्ज हुई । उक्त खातेदारों में से किशोरसिंह व अभयसिंह पिता संग्रामसिंह फौत हो गए व उनके वारीश किशोरसिंह के प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक व अभयसिंह के वारीसान प्रतिवादी संख्या 6 से 12 तक है तथा मोडसिंह के वारिस सवनकुंवर मनोहरकुंवर पुत्रिया फौत हो गई व बचे वारीस प्रतिवादी न0 14 से 17 तक है इसी तरह भंवरसिंह पिता दुल्हेसिंह फौत हो गए व उनके वारीस प्रतिवादी संख्या 19 20 21 है इसी प्रकार लालसिंह जी के वारीस प्रेमकुवंर पुष्पाकुंवर हेमकुंवर पुत्रिया मु0 राजबाई पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया व इनके दिगर वारीस प्रतिवादी संख्या न0 22 से 27 तक है। इसके प्श्चात जीतसिंह पिता उममेदसिंह राजपूत प्रतिवादी न0 28 ने उक्त आराजियात में स्थित अपने 1/8 हिस्से के हेतु इंद्राज दुरूस्ती का दावा श्री एस0डी0ओ0 कोर्ट कपासन में प्रस्तुत किया जो मु0 244 सन् 2005 रे0वाद पर दायर होकर दिनांक 28.02.2012 को डिक्री किया गया तथा उक्त वादपत्र में वादीगण के अलावा दिगर प्रतिवादीगण को बनाया गया था और वादीगण या उनके पूर्वजों भोपालसिंह उदयसिंह को पक्षकार नही बनाया गया था चूकि उनका 1/4 हिस्सा भी जीतसिंह जी के 1/8 हिससे के साथ ही सेवन से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रह गया था, इस प्रकार वादीगण को उक्त वादपत्र की व जीतसिंह के हिस्से के दर्ज होने की जानकारी नही थी तथा उक्त वाद में जीतसिंह जी व दिगर प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से जीतसिंह जी के 1/8 हिस्से में आ0न0 270 रकबा 2.80 है0 में से 0.85 है0 पश्चिम जमीन रखी जिसके वर्तमान मे आ0न0 360/270 रकबा 0.85 है0 कायम होकर राजस्व रेकार्ड में जीतसिंह जी के नाम पर पृथक खाता नं0 64 में दर्ज हो चुकी है जिसके प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2075 संलग्न है इसके अलावा शेष आराजियात न0 253 258 259 260 265 270 271 272 273 274 278 279 कुल किता 12 कुल रकबा 6.18 है0 प्रतिवादी संख्या 1 से 27 तक के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है तथा चाह नंबर 146 256 311 सभी प्रतिवादीगण नं0 1 से 28 तक के नाम पर पृथक जमाबंदी में खाता नंबर 66 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार उक्त वादवर्णित आराजियात में वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा कब्जा है मगर संवत 2032 से 2034 की जमाबंदी में सेवन से दर्ज होने से रह गया था तथा उक्त हिस्सा संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी में लालसिंह [illegible]रसिंह राजपूत के हिस्से में गलत रूप से जोड दिया था लेकिन लालसिंह [illegible] 1/8 हिस्सा ही था मगर सेवन से जीतसिंह जी का 1/8 हिस्सा व वादीगण का 1/4 हिस्सा भी लालसिंह जी के हिस्से मे जोडकर 1/2 हिस्सा कर दिया और जीतसिंह जी ने इंद्राज दुरूस्त करा 1/8 हिस्सा ले लिया मगर वादीगण का 1/4 हिस्सा अभी भी लालसिंह जी के वारीस प्रतिवादी संख्या 22 से 27 तक के नाम पर दर्ज है जो गलत है अतः उसको दुरूस्त करा वादीगण के नाम दर्ज किए जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा प्रतिवादी सं0 28 का 1/8 भाग भी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:25:28 IST
Reason: SelfAttested

लालसिंह जी के हिस्से में से कम किया जाना अथवा उसके नाम पर पृथक से जो आ0न0 360/270 रकबा 0.85 है0 दर्ज की गई है वह 1/8 हिस्से में रखी जाकर दिगर आराजियात में उनका हिस्सा नही होने बाबत भी घोषणा किया जाना आवश्यक है तथा पक्षकारान के संयुक्त चाह नंबर 146 256 311 में भी प्रतिवादी संख्या 28 श्री जीतसिंह का 1/8 हिस्सा ही है मगर सेवन से राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है अतः इसकी भी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, तथा प्रतिवादी संख्या 15 की मृत्यु होने से इनके कायम मुकाम 15–1, 15–2, 15–3 तथा 28 के कायम मुकाम बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एफतरफा की गई, प्रतिवादी सं. 7 की मृत्यु होने से कायम मुकाम पूर्व में ही सम्मिलित हैं एवं प्रतिवादी संख्या 13, 14, 18, 19, 20 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 25 की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद ने अधिकार पत्र पेश किया, जवाब प्रस्तुत नहीं करने से इनका जवाब बंद किया गया। उपस्थित पैरोकार सरकार ने दौराने बहस राजपक्ष प्रभावित नहीं होना बताया।

वकील वादी की ओर से साक्ष्यवादी में श्री शिवसिंह पी.डब्ल्यू 1, श्री रामसिंह पी.डब्ल्यू 2, श्री निर्भयसिंह पी.डब्ल्यू. 3 के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी सम्वत 2024–2027 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत 2028–2031 प्रदर्श 2, जमाबंदी 2030–34 प्रदर्श 3, जमाबंदी सम्वत् 2039–2042 प्रदर्श 4, जमाबंदी सम्वर्त 2050 प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, जमाबंदी सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 7, जमाबंदी खाता सं. 66 प्रदर्श 8, जमाबंदी सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 9 प्रदर्श करवाये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा होने व प्र.सं. 25 का जवाब बंद होने से कार्यवाही एकतरफा होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम खेड़ली तहसील भूपालसागर साबिक पैमाईश की खाता सं. 36 के आ. सं. 63 रकबा 3 बिस्वा आ.चा., आ.सं. 170 रकबा 5 बिस्वा आ.चा., आ.सं. 171 रकबा 13 बिस्वा, आ. सं. 179 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा, आ.सं. 180 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा, आ.सं. 206 रकबा 8 बिस्वा आ.चा. किता 6 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल पैमाईश में नये नंबर 253, 258, 259, 260, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 146, 256, 311, 360/2270 बने में वादीगण 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 से 17 तक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 से 21 तक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीसं. 22 से 27 तक का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 28 का 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 28 जीतसिंह का उक्त आराजियात में 1/8 हिस्सा है और उक्त हिस्सा आ.सं. 360/270 रकबा 0.85 है. उनके नाम दर्ज की जावे, यह भूमि प्रतिवादी सं. 22 से 27 तक के हिस्से में से कम की जावे एवं संयुक्त 3 नंबर 146, 256, 311 में प्रतिवादी सं. 28 का 1/6 हिस्सा गलत अंकित हुआ है, अतः उसे दुरूस्त कर 1/8 हिस्सा अंकित किया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:25:28 IST
Reason: SelfAttested